संख्या- 34/2015/128बी0पी0/35-1-2015

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 30 जून, 2015

विषय:बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत पशुधन विभाग के कार्यों हेतु वर्ष 2015-16 में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–28/2015/109बीपी/35-1-201 दिनांक 03 जून, 2015 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर-2 में उल्लिखित पृष्ठ-4 में अंकित संलग्नक के मद संख्या-1 के लेखाशीर्ष में 2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत'' को ''2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम'' पढा जाये तथा सन्दर्भित शासनादेश के पृष्ठांकन में 14-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ जोड़ दिया जाय। संदर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव

संख्या– 34/2015/128बीपी (1)/35-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4- प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7- जिलाधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- कोषधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेकट्रेट, लखनऊ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
13- गार्ड फाईल।
14- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव!

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://finedh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://finedh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।